



ROLE OF GOND TRIBALS OF CHHATTISGARH IN THE 1942 MOVEMENT

1942 के आंदोलन में छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासियों की भूमिका

Dr. Pradeep Shukla *¹

^{*1} Professor, History Department Guru Ghasidas University, Bilaspur, India

ABSTRACT

*An important meeting of the All India Congress Committee was held in Bombay on 7 and 8 August 1942, in which almost all the major leaders of the Congress were present. In this meeting, Mahatma Gandhi gave the countrymen the slogan of “Quit India” and the mantra of “Do or Die” in protest against the British rule. Gandhiji had said-
“I want immediate independence, if possible tonight itself before dawn, fraud and falsehood are walking with arrogance. Today I am giving you a new mantra, very small. You should engrave this mantra on your heart. This mantra is do or die. We will make India independent or die in this attempt. We will not tolerate our slavery being made permanent”.*

शोध सारांश

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक 7 व 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रायः सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे। इस बैठक में महात्मा गांधी ने देशवासियों को ब्रिटिश शासन के विरोध में “अंग्रेज भारत छोड़ो” का नारा और “करो या मरो” का मंत्र दिया। गांधी जी ने यह कहा था-

“मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर हो सके तो आज ही रात पौ फटने के पहले, धोखाधड़ी और असत्य अकड़कर चल रहे हैं। आज एक नया मंत्र बहुत छोटा सा आप को दे रहा हूँ। इस मंत्र को आप अपने हृदय पर अंकित कर ले यह मंत्र है करो या मरो। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे। हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाया जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे।

Cite This Article: Dr. Pradeep Shukla, “ROLE OF GOND TRIBALS OF CHHATTISGARH IN THE 1942 MOVEMENT” International Journal of Research – Granthaalayah, Vol. 2, No. 3 (2014): 66-68.

1. प्रस्तावना

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक 7 व 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रायः सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे। इस बैठक में महात्मा गांधी ने देशवासियों को ब्रिटिश शासन के विरोध में “अंग्रेज भारत छोड़ो” का नारा और “करो या मरो” का मंत्र दिया। गांधी जी ने यह कहा था-

“मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर हो सके तो आज ही रात पौ फटने के पहले, धोखाधड़ी और असत्य अकड़कर चल रहे हैं। आज एक नया मंत्र बहुत छोटा सा आप को दे रहा हूँ। इस मंत्र को आप अपने हृदय पर अंकित कर ले यह मंत्र है करो या मरो। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे। हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाया जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुलामी की जंजीर को उतार फेंकने के लिये अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ने का निश्चय कर भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसके पूर्व कि कांग्रेस अपने प्रस्ताव पर अमल किये जाने का आवाहन करती अथवा कोई आंदोलन छेड़ती 9 अगस्त 1942 को सूर्योदय के पूर्व ही बम्बई में उपस्थित शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हिन्दुस्तान की आम आबादी को जैसे ही प्रस्ताव एवं रात की घटनाओं की सूचना मिली सारे हिन्दुस्तान में असंतोष के बादल छा गये। देश प्रदर्शनों, जुलूस, तोड़फोड़, आगजनी से दहकने लगा। मध्य प्रांत के शीर्षस्थ नेता पं. रविशंकर शुक्ल, पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र आपने सहयोगियों घनश्याम सिंह गुप्त, महंत लक्ष्मीनारायण दास, सेठ शिवदास डागा श्री यती जी, ठा. छेदीलाल आदि के साथ सरदार गृह में ठहरे हुये थे। वे जब बाहर आये तो उन्होंने संपूर्ण बम्बई को उत्तेजित व उथल पुथल की स्थिति में पाया वे भी जन समूह की विशाल धारा में सम्मिलित हो गये उन्होंने आपको प्रदर्शनों का नेतृत्व करते पाया।

दिनांक 10-8-42 को पं. रविशंकर शुक्ल (मध्यप्रांत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री) पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र (पूर्व स्वशासन मंत्री), ठा. छेदीलाल (महाकोसल प्रांताध्यक्ष) महंत लक्ष्मी नारायण दास, श्री यती जी अपने प्रदेश में दमन के नग्न नृत्य का सामना करने के लिये अपने प्रांत को लौटने के लिये रेल पर सवार हो गये। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महत्वपूर्ण अधिवेशन से वापिस आते समय 11-8-42 को रात्रि चार बजे मलकापुर स्टेशन में पं. रविशंकर शुक्ल, पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठा. छेदीलाल महंत लक्ष्मी नारायण दास, श्री यती जी, सेठ शिवदास डागा को गिरफ्तार कर लिया गया।

राष्ट्रीय व प्रांतीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद “भारत छोड़ो” का नारा हिन्दुस्तान के आसमान पर गुंजने लगा यह आंदोलन देश के साथ साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में फैल गया। यह आंदोलन प्रत्येक शहर, तहसील, कस्बे, गांव एवं सुदूरवर्ती वनों तक समान या कमोवेश रूप में विस्तारित हो चुका था। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा व रायगढ़ सभी स्थानों में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख गोंड आदिवासी नेता व कार्यकर्ता इस प्रकार थे-

रायपुर क्षेत्र से धुकेल सिंह गोंड, (कोकड़ी रायपुर) परदेशी गोंड (भाटापारा रायपुर) बुधराम गोंड, (उमरगांव) रामजी गोंड (जैतपुरी धमतरी)

शुकलाल गोंड (सांकरा धमतरी) ससऊ गोंड (उमरगांव धमतरी), हीरा सिंह, दुखुराम गोंड (केवटा टोला) माया राम गोंड (भरकुण्डी) मेहरु सिंह गोंड (माधोपुर) नेहरु सिंह गोंड (पुतर गोंडी) लेडूराम गोंड (टेम्बा गोंदी), शोभाराम गोंड (दुर्गाटोला) सगराम गोंड (मरार टोला), इसी प्रकार बिलासपुर क्षेत्र में बोधन गोंड (सकरी बिलासपुर) तथा सरगुजा से मांझीराम गोंड ने आंदोलन में हिस्सा लिया।

1942 के जन आंदोलन से दुर्ग जिला अछूता नहीं रहा। इस जिले के विभिन्न गांवों के गोंड आदिवासियों ने आंदोलन में भाग लिया, जिनमें आशाराम गोंड (नवागांव बालोद) उमेदी गोंड (बालोद) कुहाराम गोंड (साल्हेगहन डौडी लोहारा) केवल सिंह गोंड (बालोद) धनीराम गोंड (बालोद) पुरंदर सिंह गोंड (अमलीडीह) बिझराम गोंड (गोटे टोला), बुधराम गोंड (डौडी लोहारा) रामसहाय गोंड (मुराई) सभारु राम गोंड (दुर्ग) मेहरु गोंड (मोरम टोला) और कलाराम गोंड (डौडी लोहारा) थे।

भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले इन गोंड आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत ने दमनात्मक कार्यवाही कर प्रदर्शनकारियों व जुलूस में भाग लेने वालों को जेल में ठूस दिया जिन आदिवासी (गोंड) नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया वे इस प्रकार हैं।

क्र.म.	नाम	निवास स्थान	दिया गया कारावास व दंड
1	धुकेल सिंह गोंड	कोकड़ी रायपुर	3 माह कारावास
2	बुधराम गोंड	उमर गांव धमतरी	6 माह कारावास
3	रामजी गोंड	जैतपुरी धमतरी	6 माह कारावास
4	शुकलाल गोंड	सांकरा धमतरी	6 माह कारावास
5	ससऊ गोंड	उमर गांव धमतरी	6 माह कारावास
6	हीरा सिंह गोंड	नगरी धमतरी	6 माह कारावास
7	उमेदी गोंड	पुतरगोंदी	6 माह कारावास
8	दुखुराम गोंड	केवटा टोला	6 माह कारावास
9	मयाराम गोंड	भरकुण्डी	6 माह कारावास
10	मेहरु सिंह गोंड	माधोपुर	7 माह कारावास
11	नेहरु सिंह गोंड	पुतरगोंदी	6 माह कारावास
12	लेडूराम गोंड	टेम्बा गोंदी	6 माह कारावास
13	शोभाराम गोंड	दुर्गा टोला	6 माह कारावास
14	सगराम गोंड	मरार टोला	6 माह कारावास
15	बोधन गोंड	सकरी बिलासपुर	6 माह कारावास
16	मांझी राम गोंड	सकरी बिलासपुर	6 माह कारावास

17	झाड़ूराम गोंड	बगौद धमतरी रायपुर	6 माह कारावास
18	सखाराम गोंड	धमतरी	6 माह कारावास
19	आशाराम गोंड	नवागांव बालोद	5 माह कारावास
20	उमेदी गोंड	बालोद दुर्ग	5 माह कारावास
21	कुलाराम गोंड	साल्हेगहन डौडी लोहारा	5 माह कारावास
22	केवल सिंह गोंड	बालोद दुर्ग	6 माह कारावास
23	धन्नीराम गोंड	..	5 माह कारावास
24	पुरंदर सिंह गोंड	अमलीडीह दुर्ग	5 माह कारावास
25	बिरझाराम गोंड	गोटे टोला	6 माह कारावास
26	बुंधराम गोंड	सोल्हेगहन डौडी लोहारा	6 माह कारावास
27	बीर सिंह गोंड	..	6 माह कारावास
28	राम सहाय गोंड	मुराई टोला बालोद दुर्ग	5 माह कारावास
29	समारू राम गोंड	दुर्ग साल्हेगहन,	6 माह कारावास
30	मेहरु गोंड	मोरम टोला	6 माह कारावास
31	कलाराम गोंड	सोल्हेगहन डौडी लोहारा	5 माह कारावास

संदर्भ ग्रन्थ

- [1] गुप्त, दुर्गाप्रसाद, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पृ. 148 (1957-1947 तक)
- [2] पूर्वोक्त पृ. 148
- [3] मिश्रा, द्वारिका प्रसाद, स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ 462
- [4] कर्मवीर 15 अगस्त 1942 पृ. 6 अग्रदूत 15 अगस्त 1942.
- [5] म.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम से सैनिक खंड 3